

## फर्द अहकाम्

(नियम-13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत- ..... सहायक कलेक्टर ..... मुकाम- ..... डीडवाना .....

प्रार्थी :- प्रतापदास पुत्र रामदास जाति साद निवासी बावड़ी तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर राजस्थान वगैरा।

वनाम्

अप्रार्थीगण:- नन्दलाल पुत्र गणेशदास जाति साद निवासी बावड़ी तहसील-डीडवाना जिला नागौर, राजस्थान वगैरा।

किस्म मुकदमा- राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act.

संख्या..97 ...सन्-.....2020..

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
20.08.2020	<p>प्रार्थी प्रतापदास पुत्र रामदास जाति साद निवासी बावड़ी तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर राजस्थान वगैरा ने यह प्रार्थना-पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण नन्दलाल पुत्र गणेशदास जाति साद निवासी बावड़ी तहसील-डीडवाना जिला नागौर, राजस्थान वगैरा ने पेश किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>स्थगन पर एकपक्षीय तर्क वकील प्रार्थी सुने गये वकील प्रार्थी ने अपने वहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के विरुद्ध एक वाद श्रीमान के न्यायालय में पेश किया था जिसमें प्रार्थीगण को किसी प्रकार की सूचना दिये बिना ही विना विधिक प्रक्रिया अपनाये दिनांक 30.04.2001 को एक पक्षीय कार्यवाही कर दी एवं दिनांक 12.09.2007 को निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी। प्रार्थीगण तत्समय खेत खसरा सं० 60 रकबा 45 बीघा 06 विस्वाके रिकॉर्डेड खातेदार थे। उक्त निर्णय एवं डिक्री से प्रार्थीगण का हित प्रभावित होता है। रेकॉर्ड का अवलोकन किया। रेकॉर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन करने तथा प्रार्थी के शपथ-पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, आगामी आदेश तक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 09 नियम 13 सीपीसी का फौसल होने तक न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 145/2003 निर्णय एवं डिक्री की पालना दिनांक 12.09.2007 को स्थगित रखा जावे।</p> <p>अप्रार्थीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 14.10.2020 को पेश हो।</p>	

सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)



23/7/24 पत्रावली पेश हुई। कार संय ने अदावती कार्य स्थगित रखा है। दिनांक 21/5/24 को पेश हो।

21/5/24 पत्रावली पेश हुई। श्री मान P.O. सा। अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधार है। मिसल दिनांक 12/1/24 को पेश हो।

12/7/24 पत्रावली पेश हुई। श्री मान P.O. सा। अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधार है। मिसल दिनांक 27/9/24 को पेश हो।

17.

27/9/24 पत्रावली पेश हुई। श्री मान P.O. सा। अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधार है। मिसल दिनांक 30/12/24 को पेश हो।

4/17/2024

पसकारा के खाते पर पत्रावली का प्रेषण हुआ।  
कसूर का उपाय।

पुनापदा  
[Signature]

आधी-2 आधी पत्र के बर निवेदन दिए हैं।  
पसकारा के मध्य मारीका ली जाने के कारण वह  
आधी पत्र को पलाना नहीं पा रहा है। इसलिए  
आधी पत्र जरूर रिटर्न कर दिया जाएगा।  
रिटर्न पर मुना ग्राहक के बकाए का कलेक्टर को  
आधी कपने आधी पत्र को पलाना नहीं पा रहा है।  
इसलिए एफ व्हाट्सएप आधी ग्राहक आधी पत्र  
जारी रिटर्न कर दिया जाएगा।  
पत्रावली कपने ग्राहक से फोन करी (कलेक्टर को)

Wkas  
सुपुण्ड, मजिस्ट्रेट  
डीडवाना